प्रेस नोट
दिनांक 27.07.2024

अपहरण की झूठी/मनगढ़ंत सूचना की घटना का 24 घंटों के भीतर सफल अनावरण, पीड़िता सकुशल बरामद-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध अन्वेषण के दिशा में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0- 231/2025 धारा 137 (2) BNS का 24 घंटों में सफल अनावरण करते हुए घटना से सम्बन्धित 'अपहृता' सबीहा को कर्नलगंज तिराहा, कर्नलगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.2025 को आवेदिका शमीम बानो पत्नी स्व० हसन मोहम्मद नि0 खरिहा बेलभरिया थाना इटियाथोक जिला गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक पर सूचना दी गई की उनकी लड़की सबीहा अंसारी उम्र करीब 21 वर्ष जो कि गाँव में ही मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ाती है वह दिनांक 25.09.25 को स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आई तथा किसी काम से समय करीब 10.30 बजे सदाशिव चौराहा बताकर गयी। उसके बाद दोपहर में समय करीब 02.00 बजे लड़की के मोबाइल से शम्सुद्दीन(होने वाले ससुर) को सूचना प्राप्त हुई कि सबीहा का अपहरण कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना इटियाथोक में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीमों का गठन कर एसओजी/सर्विलांस टीम को भी अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया। दिनांक 26/09/25 की रात को पुलिम टीमों की अथक मेहनत एवं प्रयासों के उपरांत टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अपहृता (सबीहा) को कर्नलगंज तिराहा, कर्नलगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अपहृता सबीहा ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके घरवालों ने जिस लड़के से उसकी शादी तय की थी वह उसके साथ शादी नहीं करना चाह रही थी, जिसके बारे में घर वालों को पूर्व में बताया भी था, लेकिन घर वालों के द्वारा लगातार शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जिससे प्रार्थिनी परेशान हो कर करीब कुछ दिन पहले अपने घर पर अपने मुँह में रंग पोत कर चोटिल होने की बनावटी फोटो खींचकर रखी थी। दिनांक 25.09.2025 को घर से बहाना बनाकर सदाशिव चौराहा गई वहाँ से बस पकड़कर इटियाथोक - गोण्डा होते हुए लखनऊ पहुँच गई इसी दौरान रास्ते में ही अपने मोबाइल से शम्सुद्दीन (होने वाले ससुर) को बनावटी फोटो सहित धमकी देते हुए अपहरण किये जाने की सूचना दी।

अपहृता का नाम पता-

01. सबीहा अंसारी पुत्री स्व० हसन मोहम्मद निवासी खरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामद कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कृष्ण गोपाल राय
02. उ0नि0 शमशेर खाँ।
03. कां0 श्रवण मिश्र
04. म०कां0 अंशुल कुशवाहा

मीडिया सेल, गोण्डा।

नोटः- अपहरण की घटना का सफल अनावरण व अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्सावर्द्धन हेतु रुपये 10,000/- के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

प्रेस नोट
दिनांक : 27.09.2025
जनपद गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से संवाद कर महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक-

गोण्डा। आज दिनांक 27.09.2025 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने छात्र-छात्राओं से संवाद किया और उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपने उद्बोधन में पुलिस अधीक्षक महोदय ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मिशन शक्ति अभियान केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने का भी उद्देश्य रखता है, जिससे वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्र-छात्राओं से स्कूल आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों, छेड़छाड़ अथवा अन्य समस्याओं पर सुझाव प्राप्त किए और भरोसा दिलाया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर्स जैसे-112 (आपातकालीन सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन/सहायता), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) आदि की जानकारी दी और आवश्यकतानुसार इनका उपयोग करने की अपील की।
महोदय ने साइबर अपराधों से बचाव हेतु छात्र-छात्राओं को सतर्क रहने की सीख दी। उन्होंने बताया कि अज्ञात कॉल/मैसेज पर व्यक्तिगत या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रा को आत्मरक्षा की तकनीकें सीखकर आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। महोदय ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उन्हें साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया खतरों, सिम स्वैप और ओटीपी चोरी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीक सिखाना था।

इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ एवं स्थानीय मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक : 27.09.2025
जनपद गोण्डा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पाटेश्वरी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं से संवाद कर महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक-

गोण्डा। राज्य सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.09.2025 को पाटेश्वरी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया गया और उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि मिशन शक्ति अभियान केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी—

- 112 : आपातकालीन सहायता हेतु
- 1090 : महिला हेल्पलाइन
- 181 : महिला हेल्पलाइन/सहायता
- 1930 : साइबर अपराध की शिकायत हेतु

पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष रूप से साइबर अपराधों से सतर्क रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात कॉल या संदेश पर अपनी व्यक्तिगत/बैंकिंग जानकारी साझा न करें, सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे आत्मरक्षा प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही महिला सशक्तिकरण की असली पहचान है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने भी अपनी शंकाएँ और सुझाव पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रखे, जिनका निराकरण करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए तत्पर है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उन्हें साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया खतरों, सिम स्वैप और ओटीपी चोरी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीक सिखाना था।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ तथा स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 27.09.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियों स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक, फीडबैक फार्म भरवाकर चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शोहदों/मंचलों दिए गए रेडकार्ड-

गोण्डा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियों स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों, स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। एण्टीरोमियों स्क्वायड टीमों द्वारा जनपद के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा शोहदों/मनचलों को रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी हरकत दोहराने पर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा एण्टी-रोमियो स्क्वायड की कार्यवाही के क्रम में शोहदों/मनचलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि “महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत दोहराता है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करते हुए कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।”

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.09.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा फायरिंग की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय को फायरिंग होने की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र रामदेव निवासी ग्राम भिखारीपुर कला (ऊंचवा), थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को उसके गाँव से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/27.09.2025 की रात में डायल 112 पर एक युवक श्रवण कुमार पुत्र रामदेव द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भिखारीपुर कला (उंचवा) में लोग फायरिंग कर रहे हैं। डायल 112 एवं थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर जाँच की गई तो फायरिंग की घटना संदिग्ध पाई गई, ग्राम वासियों से पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि वहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई है। जब कॉलर से पूछा गया तो बताया कि वह यूटूयूबर है तथा सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर वीडियो बनाने और अपलोड करने के उद्देश्य से उसने फायरिंग की झूठी सूचना दी थी। अभियुक्त के पास से मौके की वीडियो भी बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्रवण कुमार पुत्र रामदेव, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम भिखारीपुर कला (ऊंचवा), थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव
02. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.09.2025, थाना कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के कुशल नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान अवैध देशी तमंचा के साथ आरोपी अभियुक्त पुत्तन पासी पुत्र मायाराम नि0 बरबटपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय, कर्नलगंज के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.09.2025 को थाना कर्नलगंज के उ0नि0 मो0 सरफराज मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि गश्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, सूचना पर आरोपी अभियुक्त पुत्तन पासी पुत्र मायाराम नि0 बरबटपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय, कर्नलगंज के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कर्नलगंज पर मु0अ0स0- 392/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पुत्तन पासी पुत्र मायाराम नि. बरबटपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 392/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
02. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मो0 सरफराज खाँ थाना को0 कर्नलगंज मय हमराह
02. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह
03. हे0का0 दीपक मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।